The House reassembled after lunch at forty-eight minutes past two of the clock.

Mr. Deputy Chairman in the Chair.

THE DELHI MUNICIPAL CORPORA-TION (AMENDMENT) BILL, 1974

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we shall take up the Delhi Municipal Corporation (Amendment) Bill, 1974, for consideration. Yes, Mr. Mohsin.

श्री राजनारायण: धीमन्, मापको जन्हारी होगी कि श्री मनीराम बागई। ... श्री उप-समापनि: किम पर बोल रहे हैं ? जिन पर कहना है तो कहिये।

SHRI LAL K. ADVANI (Delhi) : On a point of order, Sir.

श्री राजनारायणः श्रीमन्, मेरा व्यवस्थः का प्रश्न है। श्री मनीराम बायडी हैंड हुआर यादनियों हे साव गिरपतार कर निये गये हैं....

MR. DEPUTY CHAIRMAN: 1 have d
Mr. Mohsin to move the Bill.

SHRI LAL K. ADVANI : Sir, 1 am on a point of order.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Do you want to raise the point of order about the Bill

SHRI LAL K. ADVANI: Sir, may I dtaw^your attention [o rule 64 of the Rules of Procedure? It says that a Bill involving expenditure shall be accompanied by a financial memorandum which shall invite particular attention to the clauses involving expenditure and shall also give an estimate of the recurring and non-recurring expenditure involved in case top Bill is passed into law.

Now, Sir, the hon. Minister proposes to move a motion for discussing the Delhi Municipal Corporation (Amendment) Bill. 1974. I have gone through it and I find that even though there is the Statement uf Objects and Reasons appended to it and even though the memorandum regarding delegated legislation is appended to it, theix is no financial memorandum attached to

it Sir, I would like to noint out that 'his Bill involves the creation of a new statu tory post, namely, that of Director of Municipal Elections. This Bill also pro vides that the Municipal Corporation of Delhi will have to prepare separate etector rolls of its own instead of using the ting ones which are framed by the Election Commission and which are used for the Lok Sabha and Metropolitan Council elections al Corporation of Delhi does not want to proceed on the basis of the existing rolls. This involves an expenditure of lakhs of rupees.

SHRI MAHAVIR TYAGI (Uttar Pra: 1 -. there any difference in Qualifications?

SHRI LAI K. ADVANI: I have to go into the merits of the case. It is wrong. I be done? The decision is motivated.

1 demand that these are items which involve expenditure and yet the House is not told what the expenditure involved is. Un-me, the Bill cannot be cont'd. On this there have been clear rulings in our legislatures that unless a ncial memorandum is provided. the discussion cannot take place.

SHRI MAHAVIR TYAGI : I think ihe consideration may be postponed, Sir.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI F. H. MOHSIN): Sir, this Bill, of course, does not put any burden on the Consolidated Fund of India as the additional expenditure on account of setting up a separate election machinery to conduct the municipal elections and preparation and maintenance of separate electoral rolls for municipal wards as provided in the Bill will be met from the municipal funds as provided in section 105 of the Delhi Municipal Corporation Act.

SHRI MAHAVIR TYAGI: Is it not extravagance?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That Is a separate matter.

SHRI F. H. MOHSIN: That is a different matter altogether. I am only reply-

ing to the point raised by Mr. Aclvani. Sir, as the Central Government does not eive any general grant-in-aid or subvention to tile Municipal Corporation of Delhi, no expenditure from the Consolidated Fund of India is involved in this case. Hence there is no necessity...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I think it is all right.

SHRI LAL K. ADVANI : Is it all right? I would lite you to consider it.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have heard your argument.

SHRI LAL K. ADVANI: I would like you to consider the point on legal aspects. It is going to be a convention. Is it a <a href="https://linear.ncbi.nlm.nih.google.com/linear.ncbi.nlm.nih.g

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is all right, Mr. Minister, yau may move tht Bill.

SHRI F. H. MOHS1N: Sir, I beg to move: "That the Bill further to amend the Delhi Municipal Corporation Act, 1957 be taken into consideration."

Sir, as the hon'ble Members are aware, the last elections to the Municipal Corpo-r.iiion of Delhi were held in May, 1971 and the term of the office of the present Councilors will expire in May next year. According to the existing provisions of tli.; law, upon the completion of each census, the number of Councillors in the Corporation is to be determined subject to the maximum of one hundred, on the scale o" one Councillor for not more than 20,000 of the population. As the population of the areas falling within the jurisdiction of the Corporation has gone up to 37.07 lakhs, it is no longer possible to stick to the criterion of one Councillor for every 20,000 ot population. With a view, therefore, to obtain uniformity in the representation on the basis of population in the various wards, it is proposed to amend the Act, so as to provide that as far as practicable, the population of each ward shall be the same.

Further, Sir, the Act provides that the Parliamentary electoral roll relating to the a comprised within a particular ward should be adopted for purposes of elections to the Municipal Corporation. The present electoral roll has been drawn up with 1st January, 1971 as the reference date and this roll will be totally out of date by the time the next elections take place. It is not possible for the Election Commission to undertake revision of the Parliamentary electoral rolls, specially for the purpose of the conduct of the elections. municipal The Election Commission have no doubt since ordered preparation of electoral rolls for the next Parliamentary elec tions with reference date as 1st January, 1975 but as the hon. Members are aware, the Parliamentary elections are normally held every five years while the municipal elections are held every four years and are thus not co-terminus. It has, therefore, become necessary to unlink this provision from the Parliamentary electoral roll by liking power to have a separate roll for election to the Corporation. The responsibility for the conduct of elections to the Corporation as well at present vests in the Commissioner of the Corporation. It will be of great advantage if this responsibility and also the task of preparing and revising the electoral rolls for the Municipal Corporation elections from time to time, <s vested in an officer to be designated as tb» Director of Municipal Elections. Clauses 5 and 6 of the Bill seek to achieve these objectives.

Sir, apart from this consequent upon ike revision of scales of pay of certain osts in the Corporation as a result of the Third Pay Commission's recommendations Sivasankar Committee's report a large number of posts which were not intended to te nlaced within the consultation range of the Union Public Service Commission for purposes of their creation and making appointments thereto, would come within the Commission's purview and increase the work of the Commission. This would also result in the curtailment of the powets of the Municipal Corporation in these respects. Opportunity is therefore being taken to amend the Act suitably in respect of these matters also.

S/r, I Commend this Bill for the acceptance of the House.

The question was proposed.

श्री खरशीद श्रालम खान (दिल्ली): उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली म्युनिसिपल कारपोरेशन जब सन् 1957 में कायम की गई थी तो उससे बड़ी-बडी उम्मीदें और बडी-बडी ग्राणाएं लगाई गई थीं। इसका कारण यह था कि दिल्ली शहर ओ हिन्दुस्तान का दारुसल्तनत है, न सिर्फ हिन्दुस्तान का दारु-सल्तनत है, बल्कि पूरे मुल्क का दिल कहा जा सकता है, इसलिए इस कारपोरेशन से बड़ी खालाएं थीं, बड़ी उम्मीदें थीं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी वे उम्मीदें पूरी नहीं हुई ग्रीर कारपोरेशन उन उम्मीदों को पुरा नहीं कर सका। ब्राप भी दिल्ली के लोगों को उसी तरह की परे-शानियां हैं जिस तरह की परेशानियां कारपोरेशन बनने से पहले थीं । मैं तो यह कहंगा कि लीगों की उन उम्मीदों पर पानी फिर गया है। ग्रब हमें देखना यह है कि इसकी वजह क्या है ? मैं समझता हं कि दरग्रसल दिल्ली कारपोरेशन वद्किस्मती से पार्टी पोलेटिक्स का शिकार हो गई है। होना तो यह चाहिए कि सिविल सर्विसिज के ग्रन्दर कभी भी पार्टी पोलेटिक्स नहीं ग्राना चाहिये ग्रौर दिल्ली शहर के हरेक नागरिक को वे तमाम सुविधाएं ग्रीर सहलियतें मिलनी चाहियें जो कि एक शहरी को मिलनी चाहियें और दिल्ली कारपोरेशन को ये सविधाएं देने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिये। दिल्ली कारपोरेशन उस कोशिश में कहां तक कामयाव हुई है, यह हमारे लिए सोचने की बात है। मैं समझता है कि अगर दिल्ली की जनता से पूछा जाये तो उनका जबाब होगा कि इसमें बहुत कमी रही है ग्रीर इस कमी को कारपोरेशन ग्राज तक पुरा नहीं कर सका है।

श्रव सवाल यह पैदा होता है-कि जो तरमीभी बिल यहां पर पेश किया गया है, मैं समझता हं कि उसकी बहुत जरूरत थी और उसकी में ताईद करता हूं। जब यह पाबन्दी लगी हुई है कि हर वार्ड में ज्यादा से ज्यादा 20 हजार की आबादी होगी ग्रीर ग्राज जब दिल्ली की आबादी बढ़ गई है, तो इस बिल को लाना यहां पर बहुत जरूरी हो गया है। यह भी जरूरी है कि जब आवादी बढ़ जाय तो उस अवादी का डिस्टिवयशन भी ठीक होना चाहिये भ्रीर उसको 75 RSS/74-6

बराबर-बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाना चाहिये ताकि चुने हुए मेम्बरों को ग्रपने-ग्रपने वार्ड के अन्दर लोगों की परेशानियों को दूर करने में मदद मिल सके। मैं यह मानता हं कि दिल्ली कारपोरेशन दुनिया की सबसे बड़ी कारपोरेशन है। इसके अन्दर बहुत बड़ा रकबा है। इसके अन्दर केवल शहरी इलाका ही नहीं है, रूरल एरियाज भी इसमें हैं। इस म्युनिसिपल कारपोरेशन के अन्दर जो वार्डस है उनमें कुछ को ग्रगर देखा जाये तो पता चलेगा कि इस कारपोरेशन ने बहुत ग्रन्छा काम किया है, लेकिन दिल्ली में ऐसे बाईस भी हैं जिनको अगर देखा जाए तो पता चलेगा कि दिल्ली कारपोरेशन को अपनी जिम्मेदारियों का घहसास ही नहीं है। इसमें खास तौर से वे इलाके चाते हैं जिनको दिल्ली का दिल कहते हैं, जो पुराना ज्ञाहजहांनाबाद है, जिसको बाल्ड सिटी कहते हैं, ये इलाके इसमें आते हैं। यहां पर न तो सफाई का इंतजाम है, ना पानी का इंतजाम है थ्रौर न ही बच्चा के लिये स्कूलों की बिल्डिंगें ही हैं। यहां पर किसी किस्म की कोई सहलियत नहीं है। मैं यह यकीन के साथ कह सकता हं कि उनके हकों के मुताबिक उनको जो सहलियतें

मिलनी चाहियें, वे नहीं मिल रही है।

3pm

और अगर यह हकतल्फी किसी सियासी नजरिये के तहत है तो उससे ऊपर उठना चाहिये। जैसा मैंने पहले अर्ज किया, सिविल सर्विसिज रिसपांसी-बिलिटी को हल करने के लिये सियासत से, पोलि-टिक्स से, ऊपर जाना चाहिये। जो मुल्की मामलात होते हैं, जो कौमी मामलात होते हैं, उनमें तो सियासी आधार पर, सियासी बनियाद पर आप बहस कर सकते हैं लेकिन सिविल मामलात में इस किस्म की चीजें कभी दिमयान में नहीं लानी चाहियें ।

दूसरी तरमीम यह है कि डाइरेक्ट इलेक्शन हमारी म्युनिसिपल कारपोरेशन का हो। मैं समझता हं यह बहुत ही मुनासिब कदम है, यह बहुत ही जरूरी जीज थी इसलियें कि म्युनिसिपल कार-पोरेशन का इलेक्शन एक मसलसल आपरेशन है। उसकी दिक्कतें ग्रंपनी दिक्कतें हैं, उसके खुद के

श्री खरशीद ग्रालम खानी

मामलात ऐसे मामलात हैं जिसमें खास मशीनरी चाहिये जो खुद म्युनिसिपल कारपोरेशन की हो जिसको वह हर तरह से इस्तेमाल कर सके, ज्यादा से ज्यादा तवज्जह दे सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बोट देने का हक मिल सके। ग्राज क्या होता है कि जब इलेक्शन के वक्त हम बहां इलेक्टोरल रोल को देखते हैं तो बहुत से इलाके ग्रीर खास तौर पर ऐसे इलाकें जिनमें खास-खास किस्म के लोग रहते हैं, पूरे इलाके के इलाके साफ होते हैं, उनमें बोटरों के नाम नहीं होते हैं हालांकि वे मुद्दतों से रहते ग्राए हैं, उनकी पिछली कई नसलें उन इलाकों में रहती चली बाई हैं। नाम बिल्कुल काट दिये जाते हैं, उनके नाम नहीं होते हैं, ग्रौर जब-किसी सुरत से नहम उनके नाम ला सकते हैं न पैदायणी हक जो उन का है वह दिला सकते हैं, तो ऐसी हालत में जब हमारा डाइरेक्टर आफ इलेक्शन मौजद रहेगा तो यकीनन इस किस्म की शिकायत को आसानी से दूर किया जासकेगा और जो लोगों का हक है कि बोट देना भीर बोट दे कर अपने नुमायदें चुनना, उनका यह हक जरूर मिल सकेगा।

में इस सिलसिले में यह भी अर्ज कर दं कि जो दूसरा तरमीम है कि युव्पीवएसवसीव से जो कंसल्टेशन किया जाए, जो सन् 1957 के मुता-बिक प्राविजन या कि मिनिमम सैलेरी जिस ग्रेड में 350 रु० हो वह य०पी०एस०सी० को रेफर किया जाता या, ग्रव चंकि ब्रेड रिवाइज हो चुके हैं लिहाजा यह भी जरूरी है कि इसमें तरमीम की जाए और जो मुनासिब ग्रेड श्रव मुकरंर किये गए हैं उसके मताबिक यह हक रिवाइज किया जाए। इस सिलसिले में भी बहत सी बदउनवानियां हुई है, बहुत से तरीकेकार ऐसे इस्तेमाल किये गए हैं जो किसी सूरत से सही नहीं कहे जा सकते। होना यह चाहिये था कि ऐसी तमाम केटेगरीज, ऐसी तमाम सर्विसेन जिनमें 350 ६० से ऊपर की जगहें खाली होती हैं वो यू०पी०एस०सी० को रेफर की जाए और युव्पीवएसवसीव के मश्रविरेसे उस पर तकररी की जाए लेकिन होता क्या है कि उसको मल्तवी किया जाता है, उसको टाला जाता

है, उसमें किसी सुरत में देरी लगाई जाती है ब्रौर देर लगाने के साथ-साथ बहुत सी ऐसी मिसालें सामने माई हैं कि युव्पीवएसव्सीव की जो रिक-मण्डेणन थी, युव्पीवएसवसीव का जो मणविराया, जो रिकमण्डेड कैंडिडेट थे उनकी तकरुरी नहीं की गई, उनको नजरमंदाज कर दिया गया । मैं समझता हं, यह बहुत ही ना-मुनासिब तरीका है, इसको खत्म होना चाहिये, इसको रोकना चाहिये।

साथ में यह भी कहा जाता है---म्यनिसिपल कारपोरेशन की माली हालत बहुत बरी है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है। यह भी **अक्सर** हुआ है कि फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने की वजह से लोगों की तनस्वाह देर से मिलती है, लोगों को तनखवाहें नहीं मिलतीं, लोगों की तनस्वाहें नहीं दी जाती और वहां यह लिया जाता है कि बहुत सा रूपया न्यु दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी के जिम्मे है और वह रुपया वापस नहीं किया जाता। मैं समझता हूं इसकी जरूरत है कि सही मालुमात होनी चाहिये कि जो क्लेम दिल्ली म्य-निसिपल कारपोरेशन ने 4 करोड़ रु० से ज्यादा का कर रखा है वह कहां तक सही है ? इसलिये कि एन०डी०एम०सी० के हिसाब के मृताबिक वह चन्द लाख से ज्यादा बकाया नहीं है और इस तरह से इस झगड़े में हम कब तक पड़े रहेंगे। इससे इम्पलायीज को कब तक नुकसान पहुंचता रहेगा।

इस सिलसिले में यह अर्ज कर दं कि दिल्ली म्युनिसिपल कारपोरेशन का जो सफाई का महकमा है उसमें ऐसा महसूस होता है कि उन्होंने सफाई का बिलकुल काम ही बन्द कर रखा है। उनके जितने सफाई के ट्रक हैं, कड़ा-करकट ले जाने के टक हैं उनमें 70 फीसदी ट्रक ऐसे हैं जो मुद्दत से वर्कशाप में पड़े हैं, उनकी तरफ कोई तवज्जह नहीं दी जाती है। तबज्जह दी जाती है तो ऐसा--मालुम होता है उनके पास पैसा नहीं है उनको ठीक किया जा सके, उनके पास पैसा नहीं है कि बीजल खरीदा जा सके, उनके पास पैसा नहीं है कि पुर्जे खरीदे जा सकें श्रीर फिर उनको सर्विस में लाया जा सके। यहां तक भी हुआ है कि बहुत से लोगों ने ट्रक किराये पर देने से इन्कार कर दिया इसलिये कि उनका

पेमेन्ट नहीं किया जाता था, इसके नतीजे के तौर पर लोगों को सब्त परेशानी होती है, कूड़ा-करकट नहीं हटाया जाता, गन्दगी नहीं हटाई जाती, सफाई नहीं होती। इसमें सफर कौन करते हैं? किन को नुक्सान पहुंचता है? जो मजदूर हैं, जहां पर थिक्ली पापुलेटेंड इलाके हैं। पुरानो दिल्ली का जो इलाका है, जो बाल सिटी का इलाका कहा जाता है, वहां पर कोई सफाई नहीं होती है और न बहां पर कोई इंतजाम होता है। इस तरफ तबज्जो करना बहुत जरूरी है क्योंकि सब से जरूरी चीज तो पानी, बिजली और रोशानी मुह्य्या करना है।

कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से हम यह उम्मीद करते थे कि म्यूनिसिपल कारपोरेशन हमें देगा, लेकिन हमें ये चीजें नहीं मिल सकी और इस तरह से म्यूनिसिपल कारपोरेशन का होना या न होना हमारे लिये कोई फायदेमन्द साबित नहीं हुआ।

इसी तौर पर मैं एक और चीज की तरफ प्रपनी तबज्जो दिलाना चाहता हूं। दिल्ली म्यनि-सिपल कारपोरेशन ने एक रिम्युनेरेटिव प्रोजेक्ट कायम करने की कोशिश की और उसका यह स्थाल था कि इस प्रोजेक्ट से उसको काफी माली फायदा हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट के लिये दिल्ली एड-मिनिस्ट्रेशन और डी०डी०ए० ने फराकदिली से जमीन दी भीर यह जमीन इसलिये दी ताकि वह उससे फायदा उठाए और कारपोरेशन को एक मुस्तकिल भ्रामदनी का जरिया हो जाए। हुआ यह कि उस जमीन का ज्यादा हिस्सा नीलाम कर दिया गया और नीलाम करने के बाद उससे जो रकम हासिल हुई जो कुछ रुपया हासिल हुआ, वह सब रुपया खर्च कर दिया गया और वह रुपया उस मद पर खर्च कर दिया गया जिसके लिये यह जायज नहीं था। मैं समझता हूं कि इस चीज को भी देखने की जरूरत है कि किसने इस जमीन का नीलाम करवाया, क्यों करवाया और किस तरह से किया ?

इसी तरह से म्यूनिसिपल कारपोरेशन की खोर से बहुत ज्यादा अखराजात किये जा रहे हैं जबकि जरूरत यह है कि आज हर मुहकमें में अखराजात कम होने चाहिये। म्युनिसिपल कारपोरेशन इन बातों की तरफ तो ख्याल नहीं कर रहा है और 75RSS/74—7 वह बहुत सा रुपया ब्राज स्टैच्यू लगाने में खर्च कर रहा है बौर बहुत सा रुपया इसी तरह के कामों में वह खर्च कर रहा है। ये इस प्रकार के अखराजात हैं जिन्हें मुल्तवी किये जा. सकते हैं जिन्हें टाला जा सकता है। इस तरह के अखरा-जातों के बदले म्य्निसिपल कारपोरेशन दबाइयों में ज्यादा खर्च कर सकता है क्योंकि ब्राज अस्पतालों में दबाइयों की सब्त जरूरत है। ब्राज बहां पर डाक्टर की जरूरत है। वहां पर ज्यादा से ज्यादा मरीजों को सहुलियत पहुंचाने की जरूरत है न कि ब्राज जगह-जगह पर स्टैच्यू पर खर्च करने की जरूरत है।

इसी तरह से जहां एज्केशन का सवाल है, मैं समझता हं म्युनिसिपल कारपोरेशन के पास प्राइमरी स्कुलों की पढ़ाई की जिम्मेदारी है। ग्राज देखने में यह बाता है कि प्राइमरी स्कूलों की तरफ तो तबज्जो नहीं दी जाती है, प्राइमरी टीचरों को स्कुलों में नहीं रखा जाता है, प्राइमरी स्कुलों की इमारत नहीं बनाई जाती है, वहां पर पढ़ने वालों के लिये न बैठने को कुसियां हैं, न मेज है और न ब्लैक बोर्ड हैं, लेकिन इन सब के बदले नर्सरी स्कल खोले जा रहे हैं जब कि नसंरी स्कल खोलने की उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आज हालत यह है कि प्राइमरी स्कूल तो अच्छी तरह से चल नहीं रहे हैं, उनके लिये कोई सामान नहीं है ग्रीर न पढ़ाने का कोई इंतजाम है, लेकिन नर्सरी स्कूल चलाए जा रहे हैं जबकि उनकी कोई जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं कि नर्सरी स्कूलों को चलाने के पीछे कोई खास मकसद है, अगर ऐसा नहीं होता तो प्राइमरी स्क्लों को चलाने के बारे में पूरी तरह से इन्तजान किया जाता। प्राइमरी स्कूल ही हमारे बुनियादी स्कूल हैं जहां पर बच्चों का करैक्टर बनता है, जहां पर सब से पहिले बच्चे तैयार होते हैं। ग्रगर हम उन बच्चों की तरफ पूरी तौर से तवज्जो नहीं देंगे तो आगे चलकर बच्चे किस तरह से पढ़ लिख सकेंगे और काविल वन सकेंगे ?

इसके साथ ही साथ से यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि मुझे यह मालूम हुआ है कि कार-पोरेशन की तरफ से दरख्वास्त 4 करोड़ रुपया कर्ज देने के बारे में दी गई है क्योंकि कारपोरेशन के

[श्री खरशीद जालम खान] पास रूपया नहीं है। कारपीरेशन से यह मालुम किया जाना चाहिये कि यह 4 करोड़ रुपये की उसको क्यों जरूरत पड गई है ? क्या कारपोरेशन की अपनी ब्रामदनी नहीं है ? क्या उनके पास इतना रुपया नहीं है ? ग्रगर है, तो फिर क्या हुग्रा पहिले तो यह देखना होगा कि कारपोरेशन को कितना हाउस टैक्स बकाबा वसूल करना है श्रीर कितना टर्मिनल टैक्स बकाया पड़ा हुआ है। इस तरह के कितने और टैक्स बकाया पड़े हुए हैं, जो सभी तक वसले नहीं गए हैं। धगर ये सब बकाया टैक्स वसल कर लिये जाते और इसके बाद भी उसकी रुपयों की जरूरत होती तो उसको दरस्वास्त देना चाहिये वरना नहीं देना चाहिये। टर्मिनल टैनस की वसलयाबी भी नहीं हो रही हैं, हाउस टैक्स की वसलयाबी भी नहीं हो रही है। उसकी क्या वजह है मैं नहीं कह सकता। कोई खास वजह होगी जिसकी वजह से यह नहीं किया जा रहा है। लेकिन और कारपोरेशनों में ऐसा क्यों नहीं होता? लाखों रुपए बकाया है और हम दूसरों से कर्ज मांगते हैं। में समझता हूं कि यह कर्जा नहीं देना चाहिये। जब तक एक-एक पाई वसूल न हो जाय कर्जा नहीं देना चाहिये। यह भी देखना चाहिये कि जो कर्जा मांगा जा रहा है वह किन चीओं के लिये, किन प्रोजेक्टस के लिये मांगा जा रहा है, क्या वे बाकई में जरूरी है, क्या वाकई में उन पर खर्च करना जरूरी है, क्या हम उन श्रवराजात को रोक नहीं सकते इसलिये कि इस वक्त हमारे पास पैसे की कमी है। ज्यादा से ज्यादा रुपया श्राप ऐसे कामों में लगाएं जिससे खाप लोगों को फायदा हो।

आपने हाल में मुख्तिलिफ अखबारों में देखा होगा कि कारपोरेशन के जीनल आफिसेंज में किस किस्म की वदजनमानियां सामने आई हैं। कहीं एक किस्म का स्कैंडल सामने आता है तो कहीं दूसरे किस्म का स्कैंडल सामने आता है। क्या कारपोरेशन में स्कैंडल ही रहेंगे । क्या हम लोग पानी के लिए हमेशा तरसते रहेंगे और स्कैंडल्स की आरिश होती रहेगी? में समजता हूं कि वक्त आ गया है कि ऐसा जायजा लिया जाए कि कार-पोरेशन ने क्या अपने उन फरायज को अदा किया है जिनकी उस पर जिम्मेदारी थी। अगर कार- ोरेणन उन फरायज को बदा नहीं कर सकता, सफाई नहीं करा सकता, सिंवनेज नहीं दे सकता तो क्या उसका बना रहना जरूरी है? मैं समझता हूं कि ऐसे इदारे को, ऐसे कारपोरेजन को कोई हक नहीं रहता कि वह बना रहे जबिक वह अपने लोगों को पूरी सिंवसेज न दे सके, सफाई का इन्तजाम न कर सके, पानी के लिये लोग बैसे ही तरसते रहें जैसे कारपोरेजन के न होने की सूरत में तरस रहे थे।

एक और चीज जो मैं बहुत ही जिस्मेदारी के साथ कहना चाहंगा वह है प्रोवीडेन्ट फंड का मसला। एम्प्लाईज का प्रोवीडेन्ट फंड तो काटा जाता है लेकिन वह जमा नहीं कराया जाता है। यह किसकी जिम्मेदारी है ? किसके कहने से ऐसा किया गया भौर क्यों उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं की गई? एम्प्लाईज का पैसा काटकर और एम्प्लायसं का कन्ट्रीव्यासन मिला कर हमारा फर्ज है कि फौरन उसको बैंक में जमा किया जाय । उसको वैंक में जमान करने की क्यावजह हो सकती है, उसको क्यों खर्च किया गया, किसके कहने से खर्च किया गया, क्या ग्रथारिटी थी ? अगर ऐसा हुआ तो प्रोवीडेन्ट फंड कमिणनर ने एक्शन क्यों नहीं लिया, म्यानिसपल कमिक्नर इस बात को प्रोवीडेन्ट फंड कमिश्नर के नोटिस में क्यों नहीं लाया । जिसने ऐसी वदउनवानियां की उसको सजा दी जाय। इन अल्फाज के साथ मैं इस बिल की ताईद करता हुआ अपनी जगह पर बैठता हूं।

श्री लाल झाडवाणी (दिल्ली): उपसभापित जी,
मैं इस विधेयक का विरोध करने के लिए खड़ा
हुआ हूं। जिस दिन यह विधेयक सदन में पेश
किया गया था उस दिन भी मैंने आपित उठाई
श्री कि इस गम्भीर मामने में कम से कम यह
आवश्यक वा कि आप यहां के नगर-निगम से
सलाह करते, मणविरा करते, पूछते कि
उनकी क्या राय है, हम इस प्रकार
का परिवर्तन करने जा रहे हैं, उसमें उसको
कुछ सलाह देनी है। मैं यह समझता हूं कि हिन्दुस्तान के संविधान में एक लेक्यूना है। उसमें
लोकल बाडीज के लिये कोई ब्यवस्था नहीं है।

धसेम्बलियों के ग्रधिकार, केन्द्रीय सरकार के संसद के अधिकार इन सबका निरूपण किया गया है, केकिन स्थानीय संस्थाएं जहां वास्तव में लोक-तंत्र की गुरूग्रात होती है, चाहे वह पंचायत हो, चाहे नगरपालिका हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो, चाहे नगर निगम हो, उनके लिये चुंकि संविधान में कोई व्यवस्था नहीं है इसलिये कानून के द्वारा जो भी सरकार चाहे करती रहती है। आज का विधेयक मैं समझता है कि इस प्रकार के मनमाने-पन का परिचायक है। स्थानीय संस्थाओं के क्षेत्र में ग्रनावण्यक, ग्रनुचित, श्रवांछनीय श्रति-कमण है जिसकी कोई जरूरत नहीं, जिसकी कोई उपयोगिता नहीं, जिसकी कोई जास्टिफिकेशन नहीं है। मैं सबसे बड़ी हैरानी की बात यह मानता हं कि स्टेटमेंट ग्राफ ग्राब्जेटक्स एण्ड रीजन्स में बड़े ग्रधिकारपूर्वक गृह मंत्री जी ग्रोर ग्राज श्री मोहसिन जी ने स्वंय इस बात को दोहराया है जिसको मैं पढ़कर मुना देना चाहता हूं ग्रीर मैं समझता हे कि संसद की This is an instance of deliberate misleading of the House ^r TTT |

"The next general elections to the Municipal Corporation of Delhi are due early in May 1975. It will be necessary to revise the electoral roll before then. The Election Commission will, in the normal course, be taking up the revision of the electoral roll of the pralia-mentary constituencies only during 1975. in preparation for the next General elections to the Lok Sabha. It will not be possible for the Election Commission..."

Mind you, this is the basis of the whole Bill.

"to undertake the revision of the electoral roll specially for the purpose of the conduct of the elections to the Municipal Corporation of Delhi."

अर्थात् इस बिल को प्रस्तुत करने का प्रमुख कारण यह है कि नगर निगम के चुनाव मई 75 में होने वाले हैं और उससे पूर्व नगर निगम के जो इलेक्टोरल राल्स होंगे, जो खब तक लोक सभा के होंगे उनको इलेक्शन कमीशन तैयार करने में असमर्थ है ।

उप-सभापति जी, मैंने अभी अभी इलेक्शन कमीशन से जानकारी प्राप्त की है ग्रीर मझे उस अधिकारी का नाम बताने में भी संकोच नहीं है क्योंकि उन्होंने सोच विचार करके ग्रन्त में मुझसे कहा कि मैं जैसे कह रहा हूं वैसे ही ग्राप कहें। वह हैं सेकेटरी ट दि कमीशन, मि० ए० के० सेन । उनसे मैंने पूछा कि दिल्ली में इलेक्टोरल रोल्स के रिविजन का गौड्यूल क्या है। मैं इतना ही जानना चाहना है। लोक सभा के इक्लेशन होंगे 75 में या 76 में, उन्होंने समझा होगा कि शायद उसी संदर्भ में मैं पूछ रहा हुंगा । 1970 में भी बार बार यही कहा गया था कि लोक सभा डिजाल्व नहीं होगी ग्रीर श्रंतिम जो उस समय शीतकालीन सधिवेशन हमा उसमें भी कहा गया कि डिजाल्व नहीं होगी, मिड टर्भ इलेक्शन नहीं होगा । हो सकता है हो, हो सकता है न हो । लेकिन मैं इस विधेयक की बात कर रहा हं कि मुझे सेकेटरी ट दि इलेक्शन कमीशन ने बताया कि जहां तक दिल्ली के इलेक्टोरल रोल्स का सवाल है हमने हाउस ट हाउस. घर घर जाकर मतदाताओं को देखकर उनके ग्राधार पर इन्यमरेशन का काम पहली नवम्बर से शरू कर दिया है। We have started the process of enumeration in order to enrol all those voters who will be eligible on the 1st January 1975. क्योंकि क्वालिकाइड डेट है 1 जनवरी 1975, । जनवरी 1975 को कौन कीन से मतदाता 21 साल के हो जायेंगे, इसके ब्राधार पर हमने घर घर जाकर इलेक्टोरल रोल्स का इन्युमरेशन शुरू कर दिया है। उन्होंने फिर कहा कि । फरवरी को हम ड्राफट पब्लिक कर देंगे धीर फाइनेल पब्लिकेशन जो हैं वह 31 मार्च 1975 तक पूरा हो जायगा।

श्री महावीर त्यागी: इसका इलेक्शन कब होगा ?

श्री साल आडवाणी: मई में इतेक्शन होगा । उप-सभापति जी, ये जो कारण बताये गये हैं, मैं ग्रापके सामने रखना चाहता हूं स्टेटमेंट आफ ग्राब्जेक्टस एण्ड रिजन्स को देखते हए।....

In my introductory speech, 1 have stated all these things.

श्री एफ एच मोहसिन : मैंने कहा है आपने स्ना नहीं ।

श्री लाल ग्राडवाणी : कहां वोला ? ग्रापने तो यह कहा कि यह सम्भव नहीं है इनके लिए इससे पहले करना, 1975 में इय है।

श्री एफ० एव० मोहसिन : इलेक्जन कमीणन कर रहा है, इस बक्त कर रहा है, यह भी मैंने बताया ।

श्री लाल ग्राडवाणी : वह कहता है कि 31 मार्च तक हमारे पूरे के पूरे इलेक्टोरल रोल्स तैयार होंगे।

This is what the Election Commission s.ivs. So on this basis at least, it has no relevance

भाप उससे भागे कहिये । कम से कम स्टेटमेंट ग्राफ ग्राब्जेक्ट्स एक्ड रीजन्स में ऐसी ग्रमुद्ध बात कहना, गलत बात कहना, मिसलीडिंग बात करना यह कम से कम सरकार को नहीं करना चाहिये। सरकार को यह कारण नहीं बताना चाहिये।

SHRI F. H. MOHSIN: To put the ie-coid straight, I have already stated that the Election Commission have no doubt since ordered preparation of electoral rolls for the next Parliamentary elections with reference to the date as 1st January 1975. This is what I have stated

SHRI LAL K. ADVANI: Election Commission goes on preparing it throughout the country. So far as Delhi is concerned which is stated to be the main basis, why have you to prepare, the electoral roll separately '? After all you have to justify.

लाखों रुपये खर्च करने वाले हैं लेकिन क्वालि-फिकेशन वही है। एक श्रादमी 21 वर्ष का होने के बाद लोक सभा के लिए बोट देने का ग्रधिकारी है और अगर वह कारपोरेशन के लिये बोट देने का अधिकारी 18 साल में हो जाता है तो मैं अ।पकी बात मान लेता कि कारपोरेशन की क्वालि-फिकेशन्स घलग हैं इसलिये इजैक्ट्रोरल रोल अलग होना चाहिये। लेकिन 58 से लेकर 1974 तक 16 साल तक इलैक्टोरल रोल वही रहा. कोई गलती नहीं हुई, कभी कोई शिकायत नहीं थाई। ग्रगर कोई शिकायत हुई तो वह लोक सभा के लिये भी हुई। अभी माननीय सदस्य कह रहे थे इलैंक्टोरल रोल विलकुल गड़बड़ होता है। इलैंक्टोरल रोल चाहे लोक सभा का हो या कारपोरेशन का हो वह ठीक होना चाहियें, वह ग्रग्रदध नहीं होना चाहिये, कमियां नहीं होनी चाहिये । जो मत देने के ग्रधिकारी हैं उनका नाम उसमें होना चाहिए । इसमें किसी को कोई ब्रापित नहीं हो सकतो । मैं इस बात का कारण समझना चाहता हं कि कारपोरेशन के ऊपर लाखों रुपए का एडीशनल वर्डन क्यों डाला जा रहा है। में श्रारीप लगाना चाहता हुं श्रीर श्रभी माननीय सदस्य भी कह रहे थे कि इस मामले में तियासी राज-नीति नहीं मानी चाहिये । मैं सहमत हं लेकिन मेरा ग्रारोप इस बात पर है कि दिल्ली कारपोरेशन जब से भारतीय जनसंघ के हाथ भाषा है तब से लेकर इसके साथ सीतेला व्यवहार किया गया है। इसके श्रधिकार कृंठित किये गये हैं। एक-एक करके इसके खिलाफ ऐसे कदम उठाये गये हैं जिससे यह आगे के इलेक्शन न जीत सके। इन्होंने सोचा कि इसमें ऐसी व्यवस्था करें जिससे जनसंघ मैज्योरिटी में न जाए ।

श्री ग्रॉम महता : यह कैसे होगा ?

थी लाल ग्राडवाणी : यह में समझना चाहता यह मैं ग्राप्तंका इसलिए प्रकट रहा हं क्योंकि अभी तक मंत्री जी भाषण में कोई ऐसी बात नहीं बताई कि कमिश्नर इलैक्शन इससे चलाएगा । कानन में लिखा

हुआ है। जापके स्टैट कैन्ट्स आफ आवजैक्ट एंड रीजन्स में जिला हुआ है a new post will be crated known as Director of Elections because it would be of advantage. To whose advantage? कारपीरेजन का एडवाटेज, जनता का एडवान्टेज सैन्ट्रल गवनेमैंट का एडवान्टेज हो सकता है

Subject to the superintendence, direction and control of the Central Government. I t;:ke strong objection to this.

मेरा कहना है कि इसको इलैक्शन कमीशन ही कंडीक्ट करे । श्राप कारपोरेशन के हाथ में पावर निकाल कर सैन्ट्रल गवर्नमैंट के हाथ में ला रहे हैं। यह आशंका, व्योंकि 1967 से ले कर जिस प्रकार से दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हुया है, जिस प्रकार से दिल्ली कारपोरेशन के साथ हजा है उसी के आधार पर बेस्ड है। ब्रापने दिल्ली कारपोरेशन से दिल्ली टांसपोर्ट छीन लिया । दिल्ली कारपोरेशन के पास जब ट्रांसपोटं थी तो मुझे भी उसके काम से सन्तोष नहीं था । शुरू शुरू में हमने दो साल काम किया भीर उसमें सुधार की कोणिश भी की। वहां ऐसी व्यवस्था भी है कि जो स्टेंट्चरी कमेटीज हैं उसके चार आफिशियल मैम्बर्स होते हैं तो बे टास के श्राधार पर बदलते रहे हैं। हम बार-बार कहते हैं कि चार क्यों रखते हैं पांच रखो ।

Why not make it five in order to enable 'the majority party in the Corporation to take decisions. It may be Jan Sangh today the Congress tomorrow. Whosoevur it is, the policies of the Corporation should be implemented through the statutory committees.

बहां पर तो टास द्वारा चेयरमैन बनाया जाता है, यद्यपि कारपोरेणन में जनसंघ सत्तारूढ़ है। आप जानते हैं कि डी० टी० सी० के बारे में क्षिकायत है। श्री श्रोम मेहता जी जब वहां पर मंत्री थे तो उन्होंने ट्रांसपोर्ट को अपने हाथ में ले लिया। केन्द्रीय सरकार के इस विभाग को अपने हाथ में लेने के बाद भी आप सारी स्थित को देख लीजिये... (Interruptions) एक दिन 75 RSS/74-8

क्यू में खड़े होकर तो देख लीजिये इसमें कोई संदेह नहीं कि जब श्री ग्रोम मेहता जी की छन्न छाया में यह विभाग ग्राया है पिछले साल इस डी० टी० सी० को 14 करोड़ रूपये का लोन मिला है। जब हम लोग मांग करते रहे कि दो करोड़ का लोन दीजिये, तो हमको दो करोड़ का लोन भी नहीं दिया गया । यह भी सही है कि इस लोन के कारण 90 परसेन्ट नई बसें भा गई हैं, जब कि सन 1971 तक इसमें 40 परसेन्ट पुरानी बसें थीं । उनको रिप्लेस कर दिया गया है। जब यहां पर 40 परसेन्ट पुरानी बसें थीं तो दिल्ली में 25 सी दूप्स मिस होती थीं धौर ब्राज जब कि 90 परसेन्ट नई बसें हैं तो 60 हजार के लगभग दिप्स मिस होती हैं । यह नमुना मैंने इसलिये दिया है कि आप कहते हैं कि आपने डी० टी० सी० की ठीक कर दिया है । आसे देखिये । स्लम डिपा-टंमेन्ट कारपोरेशन के पास था और जनसंघ बाले जब जनता में ग्रन्टा काम कर रहे थे तो स्लम हिपार्टमेन्ट को उनसे छीन लिया गया । जनसंघ वालों ने दिल्ली में झाडू हाथ में लेकर कुछ सफाई का काम करने का प्रयत्न किया तो इनको जेलेसी हो गई। पिछले चार साल से यह चर्चा चल रही है कि बिजली और पानी के विभाग जो कारपोरेशन के पास हैं, इनको भी सेन्ट्रल गवर्न-मेन्ट अपने हाथ में ले। आप करिये। लेकिन पिछले दो साल से इसकी चर्चा ठंडी पड़ गई है। इसका कारण यह है कि दो साल से वहां पर चेयरमैंन कांग्रेस का आदमी हो गया है।

श्री स्रोम मेहता: नहीं, नहीं ।

श्री लाल श्राडवाणी : ग्रीम मेहता जी, नहीं नहीं करने से ना नहीं हो जाता है । I am giving you facts.

श्री ग्रोन मेहता: टॉस भी आपके हक में नहीं जाता है।

श्री लाल श्राडवाणी : जनता हमारे हक में जाती है। टॉस, लाटरी वर्गैरह तो आपके फेंबर में जाती हैं।

उप-सभापति महोदय, इस विल मैं जो प्रमख पहलू हैं उनकी चर्चा मैं करना चाहता हं। इसमें पहला पहलू यह है कि सामान्यतः 20 हजार जनता पर कारपोरेशन का मैम्बर होगा। ग्रव दिल्ली की प्रावादी बढ़ गई है। ग्रीर यह जो 20 हजार का निवंन्ध लगा हुआ है, उसे बनाये रखना संभव नहीं है। मैं यह मानता हं कि दिल्ली की जनसंख्या बढ़ गई है। इस समय दिल्ली की जनसंख्या 46 लाख से भी 'ऊपर है और कुछ सालों में ही यह जनसंख्या 50 लाख से भी ऊपर चली जाएगी क्योंकि दो लाख ब्रादमी यहां पर हर साल बढ़ जाते हैं । जब दिल्ली की जनसंख्या एक इलाकें में 50 लाख हो जाएगी तो इसका अर्थ यह है कि क एक इलाके में 50 हजार की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि होगा। अभी स्थित यह है कि किसी किसी इलाके में बोटिंग स्ट्रेन्थ 12 हजार, 13 हजार है तो किसी इलाके में 55 हजार भीर 60 हजार है। जिस इलाके का अभी उस तरफ के एक माननीय सदस्य ने जिक्र किया श्रीर जिसको पुरानी दिल्ली का एरिया कहते हैं, चांदनी चौक का एरिया ग्रगर उसको इस विल के मताबिक बनाया गया तो वहां पर लोगों का रिप्रजेंटेशन बहुत कम हो जाएगा । अगर 50 हजार की माबादी के इलाके का कोई कारपोरेशन का मेम्बर होगा तो उन लोगों की जो रोजमर्रा की आवश्य-कताएं हैं, विजली, पानी की, नालियों की, उनको वह किस प्रकार से पूरा कर सकेगा, देख सकेगा यह सोचने की वात है।

[Vice Chairman (Shri V. B. Raju in the Chair]

पालियामेंट का मेम्बर, विधान सभा का सदस्य जिसको प्रमुख रूप से जाकर कानून बनाना है, नीति निर्धारित करनी है जसके लिए तो ठीक है लेकिन कारपोरेशन के मेम्बर के लिए एक्स-पेक्टेड नहीं कि वह जनता की जो रोज की दिक्कतें है, उसकी सिविक एमिनिटीज हैं, 50-60 हजार की कांस्टीट्युएंसी बनाने के बाद, उसकी और ध्यान नहीं दे सकेंगे। में इस बात को गलत समझता हूं कि 100 की संख्या नहीं बड़नी

चाहिए । सौ की संख्या बढ़ानी चाहिए । डेंब् सौ, दो सौ बनानी पड़े तो बनाइए । प्रगर प्राप इसके कारण कारपोरेशन की जो एसेन्श्रियल यूटिलिटि है, उसका जो उपयोग है, उसकी जो प्रावश्यकता है, उसका जो राधनेल है, उसकी खत्म मन कीजिए। इसलिए मैं इस प्रस्ताव के खिलाफ हूं कि घव 100 की संख्या ज्यों कि त्यों बनाए रखें छौर यह जो निवन्ध है 20,000 के जपर एक प्रतिनिधि होना चाहिए इसको काट दें। मैं इसके स्थान पर श्रावश्यक समझता हूं कि गांवों में कारपोरेशन दी सदस्य संख्या बढ़नी चाहिए ताकि हम सारी जनसंख्या के प्रतिनिधि होकर उनकी ठीक सेवा कर सकें।

इसका दूसरा भाग है इलेक्टोरल रौल का, उसका मैं उल्लेख करना चाहता हूं लेकिन में इसके बारे में जानना जरूर चाहूंगा । म्रापने मुझे टेक्निकल जवाब दे दिया :

"Because it is not from the Consolidated Fund of India..." इसलिए फाइनेश्वियल मेमोरेण्डम जरूरी नहीं

है लेकिन टेकनिकली जरूरी है। इसके कारण वह वात चली गई । लेकिन क्या हम इस बात पर विचार ठीक तरह से कर सकते है। जब तक हमको जानकारी न मिले कि कारपोरेशन के ऊपर श्रापने एक्स्ट्रा वर्डन कितना डाला हम नहीं कर सकते हैं। आपको पता चलाना चाहिए कि कुल-मिला कर यह जो ग्राप एक्स्टा, एडीनगल इले-क्टोरल रोल, बनाएंगे दिल्ली मैं, उस पर कितना खर्च होगा कारपोरेशन का भ्रीर क्या कारपोरेंग न को धाप वह प्राण्ट देंगे? हमारे मिल्न सभी कह रहे थे कि कारपोरेशन मांग क्यों कर रही हैं ? मांग इसलिए कर रही है कि उनके जो इयुज हैं वे ही पूरे नहीं होते हैं । पिछले अगस्त में हमारे दिल्ली कारपोरेशन के मेयर श्री केदारनाथ साहनी जी ने प्रधानमंत्री को एक लम्बी चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने कार-पोरेशन द्वारा पास किया गया एक विस्तत प्रस्ताव भी उनके पास भेजा भीर बतावा कि किस प्रकार हमारे कारपोरेशन को ब्राटल किया जा रहा है, किस प्रकार से अपंग बनाया जा रहा है। जो

हमारे इपज हैं, जो कारपोरेशन की दिए जाने हैं, उनकी बाबत ग्रभी वह सदस्य कह रहे थे कि यह बड़ा विवाद है एन. डी. एम. सी. ग्रीर कारपोरेजन के इयुज के बारे में ग्रीर वह सालों से चलता बाया है । कानून के धन्तगंत उस विवाद के बारे में ग्रात्मनिर्णय करने का जो अधिकार है उसके अनुसार लेफि्टनेन्ट गवर्नर को कुल मामला गया, बहुत विवाद हुआ, उसमें कई कमेटियां और उनमें कइ ग्रधिकारी बैठे और ग्रंत में जब वह कानून के बनुसार नेफ्टिनेन्ट गवर्नर के पास गया तो लेफ्टिनेन्ट गवर्नर ने सब छानवीन करके 11 सितम्बर, 1973 को दिल्ली नगर नियम के मेयर श्री केदार नाथ साहनी को पत लिखा जिसमें उन्होंने केटेगरिकली इस बात को स्वीकार किया कि हां ये इयुज है बराबर श्रीर यह निर्णय हो चुका है। उनका कहना यह है कि:

"Kindly refer to your letter No......dated 29-8-73 regarding settlement of Corporation's dues.

हो गया, अब कुछ नहीं बचा ।

"The outstanding dues of the New Delhi Municipal Committee with regar<t tn the payment of electricity tax have since been settled. The New Delhi Municipal Committee has been asked to make payment of electricity tax to the Corporation..."

एक साल से ऊपर हो गया है। यह सितम्बर, 1973 की बात हैं, ग्राज हम नवम्बर 1974, में बात कर रहे हैं। एक साल के बाद उन्होंने हुयूज नहीं दिए...

SHRI KHURSHED ALAM KHAN : What is the amount?

SHRI LAL K. ADVANI : The amount is Rs. 4.57 crores.

SHRI KHURSHED ALAM KHAN: The N.D.M.C. says it is Rs. 13 lakhs.

SHRI LAL K. ADVANI: I am not concerned with the N.D.M.C. I am concerned with the authority under the law namely, the Lt. Governor...

SHRI KHURSHED ALAM KHAN: Has he mentioned this in his letter?

SHRI LAL K. ADVANI : He has mentioned...

SHRI OM MEHTA: But not the Lt Governor.

श्री लाल ग्राउवाणी : लेपिटनेन्ट गवर्नर की चिट्ठी पड़ कर में सूना रहा हूं -बालेश्वर प्रसाद जी की । आप सोचिए, अगर आज एन०डी०एम०सी० में जनसंघ की मेजारिटि होती और इस प्रकार से लेफ्टिनेन्ट गवनंर का निर्णय हो जाता तो क्या उसको कोई चलने देता ? तो कूल मिलाकर साढ़ें 5 करोड़ रुपये के इयूज कारपोरेशन को नहीं मिलेंग तो कारपोरेशन जितनी ईमानदारी से जनता की सेवा करना चाहता है वह नहीं कर सकेता । मैं समझता हूं, इसको कहने में कोई संकोच नहीं कि 1967 से ब्राज तक दिल्ली में जब से कारपोरेशन में भारतीय जन संघ श्राई है, हमने जो काम किए हैं, जो सेवा की है. हमने जो परिश्रम किया है, हमने जिस प्रकार से दिल्ली को एक राजधानी के रूप में बनाने की कोशिश की है, दिल्ली के सब लोग उसकी तारीफ करते हैं । यह ठीक है, उसमें कमियां हैं, मैं इन्कार नहीं करता हं, और उन कमियों को भी ठीक करने की कोशिश करनी है, लेकिन मेरा निवेदन है धगर कोई कमियां होती हैं तो उसका उल्लेख कारपोरेशन की मीटिंग में भी होता है, हमारे सदस्य स्वयं करते हैं। यहां पर जो हम सरकार के द्वारा ऐसा कानून पास कर रहे हैं, इस कारपोरेशन के अभी तक के लीमित ग्रविकारों को भौर संकृषित करना चाहते हैं, धीर सीमित करना चाहते हैं, घीर तंग करना चाहते हैं और कमजोर बनाना चाहते हैं, तो में उन सब बातों का हवाला देकर जरूर कहंगा कि दिल्ली कारपोरेशन के साथ एक सौतेली मां का व्यवहार होता है । और कारपोरेशन साथ मीति के घाधार पर व्यवहार होता है। दिल्ली कारपोरेशन के जो इयुज हैं, वे बभी भी पूरे नहीं दिये जाते हैं। मैं भी कहंगा और इसकी

[श्री लाल बाडवाणी]

चर्चा भी होती है कि कारपोरेशन के इलेक्शन धराने साल पोस्टपोन होने चाहिएं। 1976 में लोक सभा के इलेक्शन होने वाले है और तब ही इसके इलेक्शन होने चाहिएं। मुझे ऐसा लगता है कि इस कानून के द्वारा इस बात की व्यवस्था की जा रही हैं। में जानना चाहता हूं What is the position?

धव नवस्वर में आकर आप, इस विल को पास कर रहे हैं ताकि सारे का सारा मामला टल आप। इसके कारण स्यितिसपल कारपोरेशन के फिर से इलैक्टोरल रोल्स बनेंगे और फिर से डी-लिमिटेशन होगा और इस तरह से एक लस्वी चौड़ी बात हो आयगी। कारपोरेशन वाले चाहते थे कि डिलिमिटेशन कराके मई के महीने में इलैक्शन करवा लें, लेकिन आप ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं जिसके कारण उनके लिए यह करना संभव नही सके। मैं जानना चाहता हूं कि कारपोरेशन के इलैक्शन के सम्बन्ध में गवनेंगेंट आफ इंडिया का क्या स्टैंड है?

मैं इन भव्दों के साथ इस विधेयक को सर्वेषा अनुचित मानता हूं, सर्वेथा अवाछनीय मानता हूं और सर्वेथा दलगत राजनीति से प्रेरित मानता हूं और इसीलिए मैं इसका विरोध करता हूं।

में यह निवेदन फिर से करना चाहता हूं कि स्थानीय संस्वाओं के संविधान में फिर से परिवर्तन होना चाहिए जिसके कारण कोई राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार मनमाने ढंग से उनके अधिकारों पर हस्तक्षेप न करे।

श्री राजनारायण (उत्तर प्रदेश): उप-सभापति जी, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस बिल को वापस ले लें । 1974 में, इस बीसवीं सदी में इस प्रकार का काला विधेयक लाना जनतंत्र का उपहास करना है। यहां पर बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, श्री प्रकाशवीर शास्त्री जी और सभी लोग यहां पर बैठे हैं श्रीर मैं चाहता हूं कि यह जो सरकारी पक्ष के जो लोग हैं, वे भी इस बात की सुनें। मैं चाहता हूं कि ये सब लोग इसकी धाराभों को पड़ें भीर इसके उद्श्य को देखें कि भ्राखिर सरकार का उद्देश्य क्या है भीर सरकार क्या चाहती है?

बढ़ा हल्ला है कि यह जो बिहार में प्रान्दो-लन हो रहा है वह आन्दोलन फासिस्ट है श्रीर इस चीज की संचालिका, सजग प्रहरी श्रीमती इंदिरा नेहरू गांधी हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हं कि जिनको जनतंत्र का थोड़ा सा भी ज्ञान होगा वे इस बात को भ्रन्छी तरह से समझ जायेंगे भ्रीर इस विधेयक को देखकर भी समझ ज येंगे कि यह बिल जो है वह जन-तंत्र का हत्यारा है इसकी धाराओं में जहां पर चुनाव के सम्बन्ध में व्यवस्था है, तो जहां चुनाव सम्बन्धी कोई व्यवस्था होती है तो पहिले नोटर लिस्ट को तैयार करने के सम्बन्ध में व्यवस्था होती है। अब बोटर लिस्ट कौन तैयार कर ? श्रीमान, भाष इस बिल के धारा पांच के सात को देखें जिसमें लिखा है 'किन्द्रीय सरकार के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के प्रधीन रहते हुए, नगर निर्वाचन, निर्देशक हल्कों में सभी निर्वाचक नामावलियों की तैयारी पुनरीक्षण ग्रीर शुद्धि ग्रीर निर्वाचन के संचालन क(पर्यवेक्षण करेगा।"

यह निर्वाचक सूची तो केन्द्रीय सरकार के स्रधीन कोई अफसर तैयार करेगा। फिर हमें बता दिया कि वह कैसे ठीक रहेगी। जिसका नाम चाही निकाल दो, जिस का नाम चाहो बड़ा दो। एक बहुत ही प्रसिद्ध कोड हो गया है। एक वीठ कामय जो लोक समा के सदस्य कई बार रह चुके थे और विधान-निर्माती परिषद के सम्मानित सदस्य थे बोटर सूची से उन्हीं का नाम निकलवा दिया क्योंकि लोक सभा में वे प्रधान मंत्री को खटकते थे, प्रधान मंत्री की गलतियों को पकड़ लेते थे।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS, DE-PARTMENT OF PERSONNEL AND ADMINISTRATIVE REFORMS AND DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY

AFFAIRS (SHRI OM MEHTA): Sir, It is absolutely wrong. There is nothing like that.

उन्होंने अपना नाम लिखाया नहीं, अब वे कहते हैं कि निकाल दिया। प्रधान मंत्री को क्या या कि रिजस्टर हुआ या रिजस्टर नहीं हुआ। ओ सूची पबलिश हुई थी उसको देखकर नाम जिखाना चाहिए था। पहले वह पबलिश होती है, उसके बाद फैसला होता है। उसमें भी प्रधान मंत्री को लायेंगे तो क्या बात बनेगी।

जपसभाष्यक्ष (श्री बो० बो० राजू) : आपका मतन्त्रव क्या है।

श्री राजनारायण: मैं वही बना रहा हूं।
माननीय श्रोम मेहना जिस तत्परता और शोधना
से उठे हैं उसी ने उनके मक्सद और हमारे
मकसद को साफ कर दिवा। बाज नक मुझे
अपने नाम को लिखाने की जरूरत नहीं पड़ी।
आप भी जानते हैं।

उपसभाष्यक (श्रो वो० बो० राजू) : ठीक है*ँ*।

श्री राजनारायणः तत्र तो सत्पको 🊆 श्रोम् मेहता से कहना चाहिए था।

"Om Mehta, you are talking nonsense; sit down."

SHRJ OM MEHTA: Sir, you decide whether he is talking sense or nonsense. I always talk sense.

श्री राजनारायण: मगर धापने यह नहीं कहा। 46 में हम बोटर रहे, 52 में बोटर रहे, 57 में बोटर रहे, 67 में बोटर रहे नेकिन 71 में कट गए।

श्री स्रोम मेहताः यापने वह जगह छोड़ दी होगी।

श्री राजनारायण: 76 में शायद हमारा नाम भी कट जाय । लेकिन मैं इतना बता देना बाहता हूं कि अगर रुपये में एक अाना, दो आना ईमानदारी भी अदालत में रह गई तो इन्दिरा जी तो 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाई होंगी पक्के तरीके से। म्रव में भ्रपनी बात पंडित प्रकाणवीर भास्त्री से ही कहवाया करूंगा। ये कागजात हैं कि प्रधान मंत्री ने क्या-क्यास्वीकारा है। (Interruptions)

श्रीमन, इसी के साथ साथ में कहना चाहता हं । इसमें प्रावधान है—निर्वाचक रजिस्ट्रीकर**ण** आफिसर—"प्रत्येक हल्के के लिए निर्वाचक नामावलि, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण हारा, जो सरकार या नियम का ऐसा आफिसर होगा जिसे केन्द्रीय सरकार इस निमित्त पदा-विहित या नामनिर्दिष्ट करे, तैयार या पूनरीक्षित की जाएंगी।" जो रजिस्टीकरण करने का ग्रफसर होगा उसको भी केन्द्रीय सरकार देगी यानी सारी शक्ति बुनियाद से केन्द्रीय सरकार ने ग्रपने हाथ में ले ली है। ग्रव मैं यह कहना चाहता हं कि धापका यह कारपोरेशन क्यों, म्युनिसिपल बोर्ड क्यों, टाउन एरिया, नोटीफाइड कमेटींज क्यों। इांग्रेज सरकार के जमाने में भी 1916 का जो म्युनिसिपल एक्ट हमारे यहां उत्तर प्रदेश में था उस एक्ट में भी इतनी पावर सरकार के हाथ में नहीं थी।

इस स्थानीय स्वायत्तता के माने क्या हैं? लोकल सेल्फ गवनंभैंट के माने क्या हैं? भगर इसमें स्थानीय स्वायत्तता कुछ है तो मैं यह कहना चाहंगा वोटर लिस्ट तैयार करने की जो प्रक्रिया है ब्राज इस विधेयक के जरिए केन्द्रीय सरकार अपने हाथ में ले रही है। उसे अपने हाय में नहीं लेना चाहिए । केन्द्रीय सरकार को इससे विरत हो जाना चाहिए। केन्द्रीय सरकार से बहुत ही सफाई से मैं कहना बाहता हं कि केन्द्रीय सरकार का सूची तैयार करने से कोई मतलब नहीं है। जो 18 साल का बालिग हो गया उसका अपने आप वोटर में नाम झा गया। श्रव तक चंकि 1974 में विधेयक हा गया इसलिए मैं तो चाहता था कि यह 21 की जगह 18 रहे क्योंकि जब से हमने अपने देश में 18 वर्ष की बात कही है उसके बाद से दुनिया के अनेक देशों में, अमरीका, इंगलैण्ड बादि में 18 साल हो गया। आपको मालुम होगा कि इसकी मांग करने पर हमारी टांग ट्टी है।

[श्री राजनारायण]

6 ग्राप्रैल, 1970 को जब लाख डेंट लाख लोग प्रदर्शनकारी ग्राम थे, उसमें 6 मांगों में हमारी एक मांग यह थी कि जिस प्रकार से हर काम के लिए 18 साल में ब्रादमी बालिग बन जाता है, उसी तरह से वोट के लिए भी होना चाहिए। हम धपनी संपत्ति ले सकते हैं, बेच सकते हैं, बैनामे कर सकते हैं, मगर बोट नहीं दे सकते हैं, जब तक कि 21 साल के न हों। क्यों ? यह सरकार समझती है कि देश का जो युवा तबका है वह सरकार के पल्ले नहीं पड़ेगा। इसलिए नवयवकों से यह सरकार उरती है भौर यह समझती है कि 21 की जगह 18 कर देंगे तो करीब 4 करोड जो वोट पडेंगे ये विरोध पक्ष को जायेंगे। ग्राप देख रहे हैं कि ग्रागर इस सरकार में तनिक भी जनतंत्र की गंध होती तो भाज जो बिहार का युवा वर्ग इस सरकार के काले कारनामों के विरुद्ध उठ खड़ा हो गया है, उस बवा वर्ग की बात मान कर कुछ ग्रादर्श उपस्थित कर सकते थे कि यह सरकार युवा वर्ग के प्रति भ्रपने कर्तव्य को करने के लिए ग्रयसर हो रही है। मगर उसके बावजुद भी 1974 में जो कारपोरेणन के लिए संशोधन का विधेयक आया है, उसमें 18 साल की अवस्था वाले युवक को बालिंग मताधिकार के लिए इन्होंने नहीं माना है, यह क्या है ? यह जनतंत्रीय पद्धति पर चलना है या जनतंत्रीय पद्धति के विनाश की राह पर चलना है। सीधे-सीधे सरकार इसको सोचे ग्रौर बताये।

ग्राप यहां नहीं थे, मझे पहले से जानकारी नहीं थी कि यह विद्येयक ग्राज ग्रायेगा। जब मैं सुबह भाया तो मुझे यह बताया गया कि कास्ट ग्रीर गीडयूल्ड ट्राइब्स की रपट ली जाएगी वरना मैं लिख कर दे दिया होता ।

उपसभाष्यक्ष (श्री बी० बी० राज्) : ऐजेन्डा वेपर्स में है।

श्री राजनारायण: ग्राप तो हमसे ज्यादा आनकार हैं। जो सरकार हम पर चलती है, इसके लिए कोई ऐजेन्डा है? सरकार के जी में जो भाता है वह करती है?

उपसमाध्यक्ष (श्री बी० बी० राजु): यह सरकार नहीं करती, यह तो चेयर डिसाइड करता है।

श्री राजनारायण: यही चीज तो है जो यह चल रही है, उसका धाप उल्टा बोल रहे हैं। ऐत्रेन्डा कल कोई दूसरा वा लेकिन प्रापने देखा कि कल बिहार पर बहस होगी। धागर ग्राज सरकार उसको मानी न होती तो भाज कोई एजेन्डा न चलता।

श्री ग्रोम महता: एक तो इनकी बात मान ली फिर भी इनको गिलाहै।

श्री राजनारायण : मान लिया, लेकिन विरोव के बाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B RAJU): You can reserve it for tomorrow when you speak on Bihar.

श्री राजनारायण: इसमें सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रेशन ग्राफिसर है। हमने सोचा कि सहायक भी केन्द्रीय सरकार के पंजे से मुक्त हो । सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रेशन धाफिसर को उसके कर्त्तंच्यों का पालन करने के लिए एक से ग्रधिक व्यक्तियों को सहायक निर्वाचन रजिस्टेशन ग्राफिसरों के रूप में नियक्त करेगी, ऐसा इसमें दिया है।

जो सहयोगी अफसर होगा उसे केन्द्रीय सरकार नियुक्त करेगी । वह केन्द्रीय सरकार के खुनी पंजे से भलग नहीं किया जाएगा। हम जनतंत्र के विद्यार्थी है, पालिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं, हम जानना चाहते हैं ग्राखिर यह क्या हो रहा है। क्या इससे जनतंत्र का निर्वाह होगा? श्रीमन्, अगर हमारा प्रवर समिति में जाने का संशोधन माना होता, तो उसकी परिधि को बढ़ाने का हम सकरप लाते। हम देखते हैं कि केन्द्रीय सरकार तानाशाही की प्रवत्ति पर चल रही है भीर टाउन एरिया कमेटी, गांव पंचायत, नगर पालिका या महानगर पालिका इत तमाम के हाथ से पुलिस का अधिकार भी अपने हाथ में ले रही है। आप देख रहे हैं बिहार में न्या हो रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि नगर महापालिका में ऐसी गुंजाइक हो कि दिल्ली की पुलिस नगर महापालिका के अधीन ही रहे । अगर हम कारपोरेशन, महानगरपालिका के महत्व को बढ़ाना चाहते हैं अपना उत्तरदायित्व पूर्ण बनाना चाहते हैं तो हमको उत्तरे कुछ अधिकार बढ़ाने पहेंगे। इस चाहते थे कि अब 1974 में यह विधेयक

पाए तो उसमें इस बात की गुंबाइल हो कि

पुलिस का प्रधिकार दिल्ली महानगरपालिका

रखे भौर दिल्ली का अवन्य पुणेंक्पेण महानगर

पालिका के तहत रहे।

बगर बाज यह व्यवस्था हो जाती, तो, श्रीमन्, धाज हमारे मनीराम बागडी धीर करीब दो दर्जन नोग उनके साथ राष्ट्रपति भवन में गिरफ्तार न हुए होते । उनके साथ प्रभद्न व्यवहार न हुपा होता । दिल्ली को पुलिस महानगर पालिका के तहत रहती तो वह भद्र होती, वह नागरिक प्रधिकारों को समझती प्रीर केवल केन्द्रीय सरकार की सरका के लिए धपने कर्तव्यों का पालन न करती । यह क्या तमाभा है ? यह राष्ट्रपति है या केन्द्रीय सरकार पति है। प्रजीब हालत है एक नागरिक के प्रधिकार का मखील हो रहा है । राष्ट्रपति को ज्ञापन देने जा रहे हैं वो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, अभद व्यवहार किया जाता है । करीब 17-18 व्यक्तियों ले जाकर के गिरफ्तार किया जाता है। यह मनी-राम बागडी कोई मामुली आदमी नहीं हैं। मतोराम बागड़ी लोक सभा के माननीय सदस्य रहे हैं । प्रकाशबीर शास्त्री जी के साथ रहे हैं। हमारी पार्टी के जब टा॰ लोहिया जीवित थे तो उनके काल में मनीराम बागडी सोशलिष्ट पार्टी के लोक सभा के नेता रहे हैं। उनके साथ इस तरह का प्रभद्र व्यवहार किया जाए यह ठीक नहीं है । मुझे समझ नहीं जाता पाखिर जनतंत्र कैसे चलेगा ? जिस तरह से केन्द्रीय सरकार बाहेगी, विस तरह से इन्दिरा गांधी चाहेगी उसी तरह से जासन चलेगा । मैं कहना चाहता हूं कि
यह जो 'मीसा' है इस बारे में हमारे घाडवाणी
जी ग्रव बोल रहे थे, तब घापको बताया घा कि
यह 'मीमा' मैंग्टेनेंस ब्रोफ इन्टरनल सिक्योंरिटी एक्ट नहीं
है, बिल्क यह मैंग्टेनेंनर घाफ इन्टिरन निक्योंरिटी एक्ट
है, एम० घाई० एस० ए० । इसलिए मैं यह
कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री भी
जिसको हम बहुत चाहते हैं थोडा घा
हम से पढ़ लें । मगर उनको फुसैत है ही नहीं ।
वे बेचारे दिन-रात दौडते रहते हैं कि बी-हजूरी
कैंसे करें ।

श्री स्रोम् मेहताः धगर हम इनसे सबक पहेंगे तो स्राप सोचे हम किसर बाएंगे।

श्री राजनारायण: प्रगर भ्राप हमसे सबक सीखेंगे तो चमक अधेंगे। चाहे थोही सी कमी जरूर खाने-पीने, साज-सज्जा धौर रख-रखाव में भ्रा जायेगा, लेकिन मनुष्य बन आधोगे भीर भ्राप का व्यक्तित्व निखर आयेगा। मैं भ्राज बिलकुत हंके की चोट पर कहने के लिये तैयार हूं कि भ्राप पटना में सब को बुला लीजिये, इंदिरा बी को बुला लीजिये, श्री जयप्रकाश जी को भ्राप इस वक्त अलग रिखये, धाप बोट लीजिये धौर जनता से पुछिये कि बिहार विधान सभा भंग हो या नहीं हो। मैं इस चेनेन्ज को स्वीकार करने के लिये तैयार हूं। मैं भ्रमी श्री जयप्रकाश जी को हिसो तैयार हूं। मैं भ्रमी श्री जयप्रकाश जी को टेलीफोन पर कह देता हूं कि भ्राप डिक्लेयर कर दीजिये कि बिहार का भ्रान्दोलन बन्द हो।

उपसमाध्यक्ष (श्री बीं० बो० राजू) : भ्रापको बिहार के बारे में चर्चा करने का मौका कल को मिलेगा।

श्री राजनारायण: यहां पर जनतन्त्र की प्रतिष्ठा का नाम लिया जाता है। सी० पी० प्राई० बाले जनतन्त्र का नाम लेते हैं। जिन्दगी भर जिन सीगों ने जनतन्त्र की प्रवहेलना की, वे प्रात्र जनतन्त्र का नाम लेते हैं। यहां पर जनतन्त्र ब्याधों के नाम पर कसी व्यवस्था चालू करते हो। इसीजिये प्रात्र कल एक नाम दिया गया है कि—डांगे, इंदिरा श्री राजनारायसा)

भीर मस्तान, बेच रहे हैं हिन्दुस्तान। भाज गली गली में यह नारा लगा हुआ है। इस देश की जनता इस बात को भली नहीं है।

SHRI OM MEHTA: Sir, I highly object to these words. He is repeating it.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAJU) : Rajnarainji, let us come to the \ 4 .M. point.

श्री राजनारायण : अब आप बिल में निर्वाचक नामाविनयों की तैयारी और पुनरीक्षण देखिये। इसमें लिखा है कि प्रत्येक हल्के के लिये निर्वाचक नामावली प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पूर्व, ब्रहंता की तारीख के प्रति निर्देश से ऐसी रीति से जो नियमों द्वारा बिहित की जाये, तैयार की जायेगी स्रीर इस प्रयोजन के लिये बनाये गये नियमों के बनसार धपने बन्तिम प्रकाशन पर तुरन्त प्रवृत्त की जायेगी।

परन्त यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि साधारण निर्वाचन के पूर्व किसी हरूके की नई निर्वाचक नामावली तैयार करने के बजाये उस हल्के के सम्बन्ध में तत्समय प्रवत संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावलि को अपना लेना पर्याप्त होगा तो वह आदेश द्वारा, उसमें विनिद्धि कारणों से, यह निदेश दे सकेगी कि उस हल्के के सम्बन्ध में तत्समय प्रवृत्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली इस प्रयोजन के लिये बनाये गये किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुये साधारण निर्वाचन के लिये उस हल्के की निर्वाचक नामावलि होगी।

श्रीमन, मेरा कहना यह है कि सरकार आदेश द्वारा ष्टेसा कर सकेगी। इससे बढ़ कर जनतन्त्र की बद-माशी और क्या होगी। हमारे एक अध्यक्ष थे वे बोसते थे कि जब तुम बोसते हो तो विच्छी के हंक की तरह से मारते हो। मैं चाहता हं कि इस सरकार को ढंक मारा जाये। अगर कोई पालियामेंटरी कांस्ट्टिएंसी में इनको बहुमत मिर गया और इनकी हकुमत हो तो ये साफ कह कि यहां पर निर्वाचक सूची बनाने की जरूरत नहीं है और पूरानी निर्वाचक मूची से काम चल जायेगा।

दिल्ली में यह बेहुवा बात चल रही है। मैं समझता हूं कि यह पूरा का पूरा सम्पूर्ण विधेयक तुफानी बदतमीजियों से भरा है।

षव ग्राप स्वायस शासन को लीजियें । स्वायस शासन के अन्तर्गत पानी, विजली, सफाई, पढ़ाई, बावागमन और उस क्षेत्र की विकास की योजनायें

सब लोकल वाडीज, कारपोरेशन के तहत रहनी

चाहियें । जब कारपोरेशन श्री एल० के० खाडवाणी जी के हाय में रहेगा, तब श्रोम् मेहता कहेंगे कि बिजली का राष्ट्रीयकरण होगा, सरकारीकरण होगा और जहां कारपोरेशन ग्रोम मेहता के हाथ में प्राया तब कहेंगे कि बिजली जैसे भी चले. उससे भी खराब अले चाहे किसी को मिले या न मिले, उससे मतलब नहीं, लेकिन उसका नाम मत लो। इतने दिनों तक सदन में मैंने इन बात को सुना कि बिजनी को तरकार प्रपने हाब में ले लेगी ...

श्री स्रोम मेहता: जरूर ले लेंगे।

श्री राजनारायण: विजली को व्यवस्था प्रायाप्त है, उचित नहीं हैं। सरकार को ग्रगर लेना या तो सरकार को विधेयक के अन्दर उसकी चर्चा करनी चाहिये थी, सरकार को इसको ले आना चाहिये था।

श्री स्रोम मेहता : इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। थी राजनारावण : ग्राखिर जब एक्ट में संकोधन हो रहा है...

श्री स्रोम् मेहताः पढ़ो तो मालुम होगा। पढ़ा

श्री राजनारायण: धव, श्रीमन्, धार्गे चल कर देखा जाने। यह सरकार प्राज सारी की सारी कत इस संशोधन विधेयक के जरिये धपने हान में लेने का प्रयत्न कर रही है इसिलिये मैं इस विश्वेयक का घोर विरोधी हूं। मैं चाहता हूं, इस विधेयक को सरकार वापस ले ले, धगर उसकी जनतन्त्र के प्रति तनिक भी ग्रास्था हो। इसको लाकर सरकार जनतन्त्र के नाम पर अनतन्त्र की

हत्या कर रही है और जो हमारे मूल प्रधिकार हैं उनका हनन करने पर तुली हुई है। इसलिये में ग्रापके द्वारा बहुत ही मजबूती के साथ इस विधेयक का विरोध करता हूं सीर चाहता हूं यह सरकार इस को वापस लेने की कृपा करेगी। इसको वापस लेने से सरकार की प्रतिष्ठा नहीं गिरेगी, बल्कि सरकार की प्रतिष्ठा बढ़ेगी और जब सरकार की प्रतिष्ठा बढ़ेगी तो गरकार की रक्षा भी होगी वरना अगर यह सरकार चाहे कि सारी ताकत अपने हाथ में लेकर पलटन और पुलिस की बदौलत इस देश की जनता पर शासन करेता यह संमव नहीं है; क्योंकि यह राम का राष्ट्र है, यह कृष्ण का राष्ट्र है, यह महारमा गांधी का राष्ट्र है, यह बुद्ध का राष्ट्र है । यहां बड़े बड़े बाततायी राजाओं का विरोध हमा है, बढ़े-वड़े म्नाततायी राजाओं का नाश हुआ है। इसलिये जो मौजुदा इन्दिरा सरकार है इसकी कोई ताकत नहीं है। यह सरकार कितने दिनों तक रह पायेगी। हम यह स्रोम् मेहता से भी कहना चाहते हैं ग्रीर भाननीय मंत्री जी जो इस विधेयक को इस समय चला रहे हैं उनसे भी कहना चाहता हं, कांग्रेस पार्टी में अब उनके लिये कोई सुरक्षा नहीं है, कांग्रेस पार्टी में रहने के बाद भी उनकी कोई भ्योरिटी नहीं है। इसलिये वह समझदारी की बात करें, जनतन्त्र की घवहेलना न करें और ऐसे बेहदा विधेयकों को इस सदन में प्रस्तुत करने की कुचेच्टा न करें। यह काला विधेयक है, इस काले विधेयक में सारी ताकत। सरकार के हाय में सौप रहे हो। यह तानाशाही व्यवस्था का नाम होगा, इसको जनतन्त्र नहीं कहा जा सकता। चुंकि यह विधेयक जनतन्त्र का हनन कर रहा है, इसलिये मैं इस विधेयक का धोर विरोधी हूं। फिर भी सरकार से कहना चाहता हूं, सरकार जनतन्त्रीय पद्धति धौर प्रणाली में आस्था प्रगट करती है तो इस विधेयक को वापस ले ले।

RE SITTING OF THE HOUSE ON 14TH NOVEMBER, 1974

भी प्रकाशबीर शास्त्री : (उत्तर प्रदेश) ग्रापके द्वारा मैं एक बात संसदीय कार्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। बाज समाचारपत्रों में बाया है कि लोक सभा का अधिवेशन 13 और 14 नवम्बर, दोनों दिन नहीं होगा। तो यहां की क्या स्थिति है?

श्री श्रोम मेहता : (जम्मू श्रीर काश्मीर)ग्राप उस समब नहीं थे। लन्ब से पहले हाउस एडजाने होने के समब मैंने बताया था कि आज चेयरमैन साहब ने इस बात की अनमति देदी है कि 14 तारीख को राज्य सभा में छुड़ी रहेगी।

थी शबनारावण: (उत्तर प्रदेश) 13 भीर 14 है तो 15 तारीख को भी एक दिन के लिये बढ जाये। 15 को फाइडे है। जब हम 13 और 14 की नहीं बैठ रहे तो खाली गैर-सरकारी दिन के लिये स्यों वेहें?

थी श्रोम् मेहताः धाडवाणी जी शापके पास बैठे हैं, उनसे पूछ लीजिये।

श्री लाल ग्राडवाणी: (दिल्ली) छुट्टी करो। मुझे कोई श्रापत्ति नहीं है।

श्री राजनारायण: घव धपनी तरफ से भीम् मेहता हिम्मत के साथ कह दें। ग्रपनी बात का भनादर मत कीजिये।

श्री श्रोम् मेहता : वह गैर-सरकारी दिन है। चलने दीजिये।

श्री राजनारायणः वह दूसरे सप्ताहमें आ जायेगा।

श्री ग्रोम् मेहनाः वह ग्रगले सप्ताह में दुबारा कैसे या जायेगा?

श्री राजनारायणः न द्याये। छोडिये इसको

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAJU): Let us close this subject now.

THE DELHI MUNICIPAL CORPORA-TION (AMDT.) BILL, 1974—Conti.

भी नत्थी सिंह (राजस्थान): उपसभाष्यक महोदय, ग्रभी जो विधेयक सदन के सामने हैं, उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। ग्रभी मैंने विरोधी पक्ष के दोनों नेतामों के भाषण